UPGK010109332025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

सेशन केस संख्या– 2447/2025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन सिंह उर्फ सोनू।

अपराध संख्या– 222/2025,
धारा– 85,108 भारतीय न्याय संहिता,
थाना– बेलीपार, जनपद–गोरखपुर।

02.12.2025

सत्र परीक्षण की पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व की तिथि पर प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख पर आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना जा चुका है।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख के द्वारा आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या– 222/2025, धारा– 85,108 भारतीय न्याय संहिता, थाना– बेलीपार, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त विवाहोपरान्त अपने वैवाहिक जीवन का भली–भांति निर्वहन करता चला आ रहा है। आवेदक/अभियुक्त के ससुराल में कोई भाई न होने के कारण आवेदक/अभियुक्त की पत्नी रूचि सिंह द्वारा अपने मायके में जाकर सेवा सत्कार किया करती थी। आवेदक/अभियुक्त की पत्नी के इसी सेवा भाव से प्रभावित होकर रूचि की दादी द्वारा अपने पैतृक सम्पत्ति को उसके नाम से जरिये वसीयत करना चाहती थी। आवेदक/अभियुक्त रोजी–रोजगार के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है। आवेदक/अभियुक्त के ससुराल वाले दादी द्वारा किये जा रहे पत्नी को वसीयत से इतने नाराज रहने लगे कि आये दिन आवेदक/अभियुक्त की पत्नी को तरह–तरह से प्रताड़ित करने लगे, जिस कारण आवेदक/अभियुक्त की पत्नी ने अपने मायके में ही स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कभी कोई प्रताड़ना अपनी पत्नी के साथ नहीं किया गया है, और न ही इस सम्बन्ध में कभी भी कोई शिकायत किसी भी थाने पर दर्ज करायी गयी है। रूचि सिंह के चिकित्सकीय आख्या में भी लिगेचर मार्क दर्शित है, जो स्वयं फांसी लगाने से भी आ सकती है। आवेदक/अभियुक्त भी एच०आई०वी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है।

उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रथम सूचनाकर्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अपराध संख्या– 222/2025, धारा– 85,108 भारतीय न्याय संहिता, थाना– बेलीपार, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है, जिसमे विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 85,108 के अपराध के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 180 के अन्तर्गत विवेचक द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता भानु प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, कमला सिंह, उदय प्रताप सिंह, दीनानाथ सिंह व चन्द्रिका सिंह आदि का बयान लेखबद्ध किया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता भानु प्रताप सिंह के द्वारा विवेचक के समक्ष इस आशय का कथन किया गया है कि पवन सिंह का किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होने के कारण वह इसी लड़की को मरने के लिए भी प्रोत्साहित करता था, जिसके बारे में इसकी लड़की रूचि ने इसे कई बार बताया था। पवन सिंह द्वारा निरन्तर इसकी पुत्री रूचि को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया व उसे आत्महत्या के लिए भी पवन सिंह द्वारा दुष्प्रेरित किया गया। उक्त सभी बातो से परेशान होकर इसकी पुत्री ने दिनांक 12/13.07.2025 को आत्महत्या कर ली। साक्षीगण रवि प्रताप सिंह, कमला सिंह, उदय प्रताप सिंह, दीनानाथ सिंह व चन्द्रिका सिंह द्वारा विवेचक के समक्ष कथन किया गया है कि पवन सिंह गाली–गलौज करता था तथा उसे आत्महत्या के लिए भी दुष्प्रेरित किया गया। घटना के दिन घर पर सिर्फ दादी थी, जो उठ बैठ नहीं सकती है, के सामने तख्त पर कुर्सी रखकर वीडियो बनाते हुए अपने पति से काफी प्रताड़ित होकर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के कारण आत्महत्या कर ली।

मृतका रूचि सिंह की मृत्यु फांसी का फंदा लगाने से होना निर्विवाद है। मृतका रूचि सिंह के शव के अन्त्य परीक्षण आख्या में मृतका के गर्दन के चारों तरफ लीगेचर मार्क, जिसका आकार 29 सेन्टीमीटर x 1.5 सेन्टीमीटर था, मौजूद था। ट्रैकिया को खोलने पर कंजेस्टेड था तथा हॉयड बोन यथावत था। अन्त्य परीक्षण आख्या में चिकित्सक के द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व लटकने के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्वांसावरोध होना उल्लिखित किया गया है।

मृतका रूचि सिंह को प्रताड़ित किये जाने अथवा आत्महत्या हेतु विवश किये जाने का अभियोजन कथानक साक्ष्योपरान्त ही सुनिश्चित किया जा सकता है। कदाचित अत्यन्त ही विषम एवम् असामान्य तथा असहनीय परिस्थितियों में रूचि सिंह ने विवशतः जीवन लीला समाप्त किया होगा। सामान्य परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला का परित्याग किया जाना कदापि स्वाभाविक नहीं है। मृतका को आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित करने के लिये अभियुक्त को घटना के समय घटना स्थल पर विद्यमान रहना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त को अपने कार्य स्थल से भी विभिन्न माध्यमों से मृतका को आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित करने का अवसर सुलभ था।

यहॉ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा– 85,108 का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। वर्तमान मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा– 85,108 के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान है तथा अभियुक्त को कथित अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी)** में यह अवधारित किया है कि–

"At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1955 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 225 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1953. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665) में यह अवधारित किया गया है कि– "It is settled law that at the stage of framing the charge, the court

has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed."

इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1558/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2015 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2015 (2) जे0क्रि0के0 1595** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time.

अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू को भारतीय न्याय संहिता की धारा– 85,108 के अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह उर्फ सोनू द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 85,108 के अपराध के अन्तर्गत आरोप की विरचना हेतु पत्रावली आगामी दिनांक 15.12.2025 को प्रस्तुत हो। उक्त तिथि को अभियुक्त न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक/गोरखपुर
02 दिसम्बर, 2025

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2025.12.02 16:54:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court